

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2012/डी- 695

दिनांक: 8/5/13

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.04.2013 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1	176.1	कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.13 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.13 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2	176.2	कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.13 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.13 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3	176.3	श्री संतोष सिंह नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ को वेतन भुगतान की स्वीकृति बाबत।	<p>नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प-2(10)नविपि/11/09 दिनांक 13.08.2009 के द्वारा श्री संतोष सिंह, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में प्राधिकरण में संविदा आधार पर नियुक्त थे। समय-समय पर नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इनकी संविदा अवधि बढ़ाई गई। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प-2(10)नविपि/11/09 दिनांक 11.05.2011 द्वारा इनकी संविदा अवधि दिनांक 30.09.11 तक बढ़ाई गई। इसके पश्चात इन्हें सेवा विस्तार न देने एवं शीघ्र से शीघ्र इनका अन्य विकल्प तलाशने का मौखिक निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया। किन्तु अन्य विकल्प मिलने तक इनकी सेवाओं की जविप्रा को निरन्तर आवश्यकता होने के कारण इनसे कार्य लिया जाता रहा अन्यथा कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ/कार्य प्रभावित हो सकते थे। इनकी सेवा विस्तार लिखित में देने से जविप्रा को इन्हें स्थाई रूप से सेवा में रखने का दायित्व पैदा हो सकता था। इस आशंका के कारण लिखित में सेवा विस्तार न देकर अन्य विकल्प न मिलने तक इनकी सेवाएँ ली गई तथा विकल्प मिलते ही इनकी सेवाएँ रोक दी गई।</p> <p>उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श पश्चात श्री संतोष सिंह, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ के द्वारा बिना स्वीकृति के प्राधिकरण में दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 31.10.2012 तक दी गई सेवाओं की कार्योत्तर स्वीकृति तथा इस अवधि के लिए रुपये 16,700/- मासिक दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस निर्णय की पुष्टि राज्य</p>	अति. आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


			सरकार से करवाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
4	176.4	हरद्वन्दपुरा डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या ए-12 को बहाल कर नियमितकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में देरी से जमा करवाई गई नजराना राशि को नियमित करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु जो नया प्रोफार्मा बनाया गया है उसके अनुरूप विस्तृत विवरण प्राप्त कर पुनः परीक्षण पश्चात कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रकरण को निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन-13
5	176.5	भूखण्ड संख्या सी-196 गिरधारीपुरा की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के संबंध में।	प्रकरण में आवंटन दिनांक 11.05.2005 को किया गया था, जो लगभग 8 वर्ष पुराना है। अतः देरी से जमा करवाई गई नजराना राशि को नियमित करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु जो नया प्रोफार्मा बनाया गया है उसके अनुरूप विस्तृत विवरण प्राप्त कर पुनः परीक्षण पश्चात प्रकरण में नीतिगत निर्णय लिए जाने के लिए कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन-7
6	176.6	श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, सर्वेयर द्वारा पुत्र श्री लव आसोपा के इलाज प्राधिकरण के गैर अनुमोदित अस्पताल से करवाये जाने पर ली गई चिकित्सा अग्रिम राशि के समायोजन की स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्व. श्री दिनेश चन्द शर्मा, सर्वेयर द्वारा अपने पुत्र श्री लव आसोपा का इलाज प्राधिकरण के गैर अनुमोदित अस्पताल (सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली) में करवाए जाने पर इलाज पर व्यय हुई राशि रूपए 13,41,138/- के नियमानुसार समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
7	176.7	जविप्रा अपीलीय अधिकरण में जविप्रा की ओर से पैरवी हेतु रिटेनरशिप पर नियुक्त अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक पुनर्निर्धारण कर बढ़ाए जाने बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु "रिटेनरशिप" पर नियुक्त अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक पुनर्निर्धारण कर बढ़ाए जाने बाबत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण में I. पूर्णकालीन अधिवक्ता की वर्तमान मासिक दर रूपए 15,000/- में 10% की वृद्धि करने का, II. सहायक अधिवक्ता के वर्तमान वाहन भत्ता सहित प्रतिमाह रूपए 5,000/- के स्थान पर रूपए 6,000/-	निदेशक (विधि)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			<p>करने की, तथा</p> <p>III. मौका निरीक्षण फीस रूपए 1,500/- प्रतिमाह प्रति अधिवक्ता को मौका रिपोर्ट संलग्न करने पर भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>प्रस्तावानुसार यह निर्देश भी दिए गए कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपरोक्त दरों से फीस के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जारी करेंगे। 2. उक्त दरों में कोई बिन्दु छूट गया है तो उसके लिए आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदन करवाकर दर तय की जा सकेगी। 3. जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 794 दिनांक 05.12.12 के क्रम में देय सर्विस टैक्स जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वहन किया जावेगा। 	
8	176.3	जयपुर संकल्प से सृजन तक (हिन्दी) Jaipur : From Conception of Creation - A Journey of Development (अंग्रेजी) की 1500-1500 प्रतियां तैयार करवाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	<p>घाट की गूणी सुरंग परियोजना, गुर्जर की बड़ी अण्डरपास एवं रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग योजना का लोकार्पण 18-19 जनवरी 2013 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एवं माननीया सप्रंग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के करकमलों से किया जाना था जिसमें माननीय अतिथियों एवं विशिष्ठ जनों को जयपुर विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों से सम्बन्धित जयपुर संकल्प से सृजन तक की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी थी। जिसमें समय कम होने के कारण बिना निविदा प्राप्त किये कार्य करवाया जाना आवश्यक था। अतः विचार-विमर्श पश्चात् जयपुर संकल्प से सृजन तक (हिन्दी) तथा Jaipur : From Conception of Creation - A Journey of Development (अंग्रेजी) की 1500-1500 प्रतियां, कुल 3000 टेबल बुक दर 640/- रूपए प्रति बुक की दर से बिना निविदा के तैयार करवाने पर व्यय की गई राशि रूपए 21.00 लाख (रूपए इक्कीस लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9	176.9	अनुपम विहार आवासीय योजना के पट्टे जारी करने की भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में देरी से जमा करवाई गई नजराना राशि को नियमित करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु जो नया प्रोफार्मा बनाया गया है उसके अनुरूप विस्तृत विवरण प्राप्त कर पुनः परीक्षण पश्चात कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रकरण को निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन-11
10	176.10	श्री बलवन्त सिंह गोदारा, सहायक अभियंता द्वारा अपनी पुत्री का ईलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में करवाये जाने पर ईलाज बतौर अग्रिम राशि की स्वीकृति।	विचार-विमर्श पश्चात विशेष परिस्थितियों को देखते हुए श्री बलवन्त सिंह गोदारा, सहायक अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति पर) द्वारा अपनी पुत्री का इलाज प्राधिकरण के गैर अनुमोदित अस्पताल (नेदान्ता हॉस्पिटल, गुड़गांव) में करवाए जाने पर इलाज पर व्यय हुई राशि रूपए 6,60,000/- के नियमानुसार समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
11	176.11	कार्यकारी समिति 175वीं बैठक हेतु भेजे गये एजेण्डा नोट में भूखण्ड संख्या एच-334 कल्पना नगर के स्थान पर ई-334 अंकित हो जाने के सम्बन्ध में।	कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक में कल्पना नगर योजना के भूखण्डों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में जो एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था उसमें त्रुटिवश भूखण्ड संख्या एच-334 के स्थान पर ई-334 अंकित हो गया था। उक्त एजेण्डा नोट का निर्णय कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 के एजेण्डा संख्या 175.31 में लिया गया था। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक में लिए गए निर्णय में भूखण्ड संख्या को संशोधित करते हुए भूखण्ड संख्या ई-334, कल्पना नगर के स्थान पर भूखण्ड संख्या एच-334, कल्पना नगर पढ़ा जावे।	उपायुक्त जोन-13
12	176.12	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी-231 के नियमितकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में देरी से जमा करवाई गई नजराना राशि को नियमित करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु जो नया प्रोफार्मा बनाया गया है उसके अनुरूप विस्तृत विवरण प्राप्त कर पुनः परीक्षण पश्चात कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रकरण को निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन-11

सचिव,
बयपुर विकास प्राधिकरण, बयपुर

13	176.13	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर के प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री सुखराम विश्वा, कनिष्ठ अभियन्ता को जविप्रा में आमेलित करने के संबंध में। (प्रस्तुत एजेण्डा को बैठक से पूर्व ही विद्वा किया गया।)	बैठक से पूर्व प्रशासन शाखा द्वारा एजेण्डा विद्वा किया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
14.	176.14	Post facto approval for modifications in Bid documents for the work "Providing and Installation of Retro Reflective Road signages on various roads in Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जयपुर शहर में रेस्टोरिफ्लेक्टिव साइनेजेज लगाने के कार्य के निविदा प्रपत्र में संशोधन करने एवं कार्य की निविदा बिना ई-टेण्डरिंग पद्धति के करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer Zone -2
15.	176.15	Post facto approval to execute additional work i.e. renewal of road from khasa kothi to Collectorate Circle through M/s Murari Lal Agarwal in the existing work order for the work "Renewal of 60 mts. & 45 mtr. wide roads in Vidhyadhar nagar, Zone 2 area , JDA , Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-2 क्षेत्र में विद्याधर नगर में स्थित 60 मीटर एवं 45 मीटर चौड़ी सड़कों के रिनिवल के कायदेश में कलेक्ट्रेट सर्किल से खासाकोठी सर्किल तक रोड रिनिवल का राशि 40.00 लाख का अतिरिक्त कार्य कराने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer Zone -2
16.	176.16	Post facto approval of tender for the work "Providing and Installation of Retro Reflective Road signages on various roads in Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जयपुर शहर में रेस्टोरिफ्लेक्टिव साइनेजेज लगाने के कार्य का कायदेश मैसर्स गोयल सावित्री इण्डस्ट्रीज (जे.वी.) माइल स्टोन कॉर्पोरेशन को राशि 8,84,05,441.10 का जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer Zone -2
17.	176.17	Post facto approval of tender for the work "Construction of roads with Interlocking tiles in Zone-2 area, JDA, Jaipur".	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-2 क्षेत्र में इन्टरलॉकिंग से सड़क निर्माण कार्य (दर संविदा) का कायदेश मैसर्स स्टाईलिश प्रीकास्ट प्रा.लि. को राशि 5,50,55,880.00 का जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer Zone -2
18.	176.18	Agenda regarding approval of tender for the work of "Renewal of internal Roads in sector-16 of Jhotwara area in zone-6 area, JDA, Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-6 क्षेत्र में झोटवाड़ा क्षेत्र के सेक्टर 16 में सड़क नवीनीकरण कार्य का कायदेश मैसर्स खुदा	Executive Engineer Zone -6

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			बक्स पटान को राशि रुपये 5,20,86,372.00 का जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
19.	176.19	Agenda regarding approval of tender for the work of "Renewal of internal Roads in sector-15 of Jhotwara area in zone-6 area, JDA, Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-6 क्षेत्र में झोटवाडा क्षेत्र के सेक्टर 15 में सड़क नवीनीकरण कार्य का कार्यदेश मैसर्स मदनलाल रामेश्वरलाल को राशि रुपये 4,54,90,099.00 का जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer Zone -6
20.	176.20	Post facto approval for changes in Bid Documents for the work "Construction of roads with interlocking tiles in Zone-2 area, JDA Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-2 क्षेत्र में इन्टरलॉकिंग टाइल्स से सड़क निर्माण कार्य (दर संविदा) के निविदा प्रपत्र में संशोधन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer Zone -2
21.	176.21	Agenda regarding approval of tender for the "Packege 1B-1, part work of Relocation of 17 slums under JDA jurisdiction-On relocation site at Jaisinghpuravas, Ajmer road, Jaipur, with total DUs 540 units."	विचार विमर्श पश्चात उक्त कार्य के लिये न्यूनतम निविदादाता मैसर्स गुलशन राय जैन-11 के द्वारा BOQ की न्यूनतम दर @39.15% अधिक पर कुल कार्य राशि रु. 20,48,22,877.00 अनुमोदित की गई। उपायुक्त जोन-11 को निर्देशित किया गया कि उक्त मौके की भूमि को 15 दिवस में खाली करवाई जाये। तत्पश्चात कार्यादेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	Executive Engineer- (PDC-3) उपायुक्त जोन-11
22.	176.22	Agenda regarding approval of tender for the "Packege 1B, Remaining work of Relocation of 17 slums under JDA jurisdiction-On relocation site at Jaisinghpuravas, Ajmer road, Jaipur, with total DUs 780 units."	विचार विमर्श के उपरान्त उक्त कार्य के लिये न्यूनतम निविदा दाता मैसर्स गुलशन राय जैन-11 के द्वारा BOQ की न्यूनतम दर @39.15% अधिक पर, कुल कार्य राशि रु. 33,20,61,894.00 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	Executive Engineer- (PDC-3)
23.	176.23	प्राधिकरण के एस.ओ.पी. के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अधीन बिना निविदा कार्य कराये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-1 क्षेत्र में (1) शासन सचिवालय परिसर के अन्दर सड़क निर्माण (2) ओटीएस व टॉक रोड पर सड़क निर्माण कार्य एवं (3) सैन्डल पार्क के गेट नं. 3 के सामने Rumble strip, Speed Breaker & Bollard लगाने के कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अधिशाषी अभियन्ता-1
24.	176.24	Agenda regarding approval of tender for the work of "Renewal & Improvement of Internal roads of Zone-7 area, JDA Jaipur (Package "A")(Category-III)".	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियन्ता-7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-7 क्षेत्र में शेष आंतरिक सड़कों का नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (पैकेज-बी) (कैटेगरी-III) कार्य की निविदा मैसर्स गुप्ता के.एन. कन्सल्टेशन कंपनी को जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-7

भा.व.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

25.	176.25	कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्डों (भू.सं. जी-205, एच-45, ई-338, जी-296, जे-7) के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्डों (भू.सं. जी-205, एच-45, ई-338, जी-296, जे-7) में विलम्ब अवधि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की है। अतः प्रकरण नियमितिकरण हेतु विस्तृत सूचना के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भू-निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ति की जानकारी भी प्रेषित की जावे।	उपायुक्त जोन-13
26.	176.26	कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्डों (भू.सं. डी- 291, डी-232) के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्डों (भू.सं. डी- 291, डी-232) की नजराना राशि 1 वर्ष 9 माह व 1 वर्ष 2 माह की अवधि के विलम्ब होने के फलस्वरूप ब्याज एवं पेनल्टी की राशि वसूल करते हुये नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 17 (5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावे।	उपायुक्त जोन-13
अन्य मुद्दे आयुक्त नहोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
27.	176.27	राजस्थान सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के अन्तर्गत सहभागिता आवास योजना प्रथम-चरण में ISHUP योजना अन्तर्गत आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाने बाबत्।	राजस्थान सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के अन्तर्गत सहभागिता आवास योजना प्रथम-चरण में ISHUP योजना अन्तर्गत आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाने बाबत् प्रस्तुत एजेन्डा नोट पर यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र के 8 प्रोजेक्ट्स में आवंटी द्वारा आवंटन तिथि से 24 माह की अवधि में किश्तें जमा करवाने पर आवंटन वैध मानकर कार्यवाही की जावे। इसके साथ ही परिशिष्ट-2 पर संलग्न सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रेषित पत्र क्रमांक डी-471 दिनांक 25.03.2013 की भी पुष्टि की गई।	संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)
28.	176.28	E- auction Business Rules Document, शर्तें एवं सम्पत्तियों की ई-ऑक्शन के माध्यम नीलामी के अनुमोदन हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात् E- auction हेतु एजेन्डा के साथ प्रस्तुत Business rules documents को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (वित्त)

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.04.2013 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंडन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री विजय शरण मल्लिक	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री एन.टी. माधुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.टी. जयंका	निदेशक (विस्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्रीमती विजू निहलानी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री जे.बी. जाखड	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री ए.एस. गुप्ता	अधिसारी अभियन्ता-2 (टी.ए.डू. सीटी सर्किल)	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री अरुण गर्ग	अति. जिला कलक्टर-3	कलक्टर, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री प्रताप कोटिया	पुलिस निरीक्षक	पुलिस अधीक्षक, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री अजित अग्रवाल	अति. आयुक्त (प्रशासन)/परिवहन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री ओ.पी. गुप्ता	अति. आयुक्त (भूमि)/एलपीसी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री त्रिभूवनपति	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री राजेश शर्मा	अति. आयुक्त (पुनर्वास)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री एस. मिश्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री गिरिराज अग्रवाल	संयुक्त आयुक्त (सं.वि. एवं स.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री रामाचंद्र शर्मा	अति. निदेशक (रा. एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री शंकर लाल रैनी	उपायुक्त जेन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जेन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री संजय जैन	उपायुक्त जेन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री केशव लाल मीणा	उपायुक्त जेन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री राजकुमार शर्मा	अभियान अभियन्ता-पीडीसी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री विनोद कृष्णदा	अधिसारी अभियन्ता-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री अजय गर्ग	अधिसारी अभियन्ता-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25	श्री वेदप्रकाश वर्मा	अधिसारी अभियन्ता (पीडीसी-3)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26	श्रीमती उषा जैन	सहायक निदेशक (प्रचार)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (ऐसे.एम)/2013/डी- 695

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक:
8/5/23

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माजनीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./श्रीमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	उपायुक्त जोन-7, 11, 13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8/5